



कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)



क्रमांक/स्था./एम.सी./2022/.....⁵⁸⁰.....

शहडोल, दिनांक.05/05/2022

“आदेश”

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय के भोपाल के पत्र क्रमांक एफ2/57/2018/55-1 भोपाल दिनांक 30 सितम्बर 2018 में किये गये प्रावधानों के अनुसार एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में मानवीय संवेदनावश पारस्परिक सहमति से अदला-बदली के आधार पर नवीन नियुक्ति प्रदाय करने हेतु म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय सेवा आदर्श नियम 2018 के उपनियम 10 (अ) के तहत स्कूटनी समिति की अनुशांसानुसार नीचे दी गयी तालिका के कॉलम 02 में उल्लेखित कर्मचारी के एवज में कॉलम 03 में उल्लेखित अभ्यर्थी को उसके नाम के सम्मुख दर्शाये गये पदस्थापना स्थल पर वेतनमान 28700-91300 (लेवल-07) न्यूनतम वेतन 28700 पर तथा समय-समय पर शासन द्वारा देय महंगाई भत्तों के साथ निम्नलिखित शर्तों के अधीन (नर्सिंग ऑफिसर) के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।

कं.	कर्मचारी का नाम पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना	कॉलम 02 में दर्शाये कर्मचारियों के एवज में नियुक्ति किये जाने वाले अभ्यर्थी के नाम,पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना	कॉलम 03 में दर्शाये गये अभ्यर्थी की नियुक्ति उपरांत पदस्थापना	चयनित श्रेणी
1	2	3	4	5
1	दिव्या दिनेशन (नर्सिंग ऑफिसर) बिरसा मुण्डा शा.चि.म.वि. शहडोल म.प्र.	रश्मि गुप्ता,(नर्सिंग ऑफिसर) शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय गजराजा ग्वालियर (म.प्र.)	बिरसा मुण्डा शा.चि. म.वि. शहडोल म.प्र.	अनारक्षित वर्ग
2	दीपांजली सोनी (नर्सिंग ऑफिसर) बिरसा मुण्डा शा.चि.म.वि. शहडोल म.प्र.	मंदाकिनी बैगा,(नर्सिंग ऑफिसर) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज सुपर स्पे. हॉस्पिटल जबलपुर (म.प्र.)	बिरसा मुण्डा शा.चि. म.वि. शहडोल म.प्र.	अनुसूचित जन जाति वर्ग
3	स्वाति चौधारी, (नर्सिंग ऑफिसर) बिरसा मुण्डा शा.चि.म.वि. शहडोल म.प्र.	भवानी पटेल,(नर्सिंग ऑफिसर) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज सुपर स्पे. हॉस्पिटल जबलपुर (म.प्र.)	बिरसा मुण्डा शा.चि. म.वि. शहडोल म.प्र.	अनारक्षित वर्ग
4	सुरभि साहू ,(नर्सिंग ऑफिसर) बिरसा मुण्डा शा.चि.म.वि. शहडोल म.प्र.	राधा राठौर,(नर्सिंग ऑफिसर) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज सुपर स्पे. हॉस्पिटल जबलपुर (म.प्र.)	बिरसा मुण्डा शा.चि. म.वि. शहडोल म.प्र.	अन्य पिछड़ा वर्ग

नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।

1. आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन देना (कार्यभार ग्रहण) अनिवार्य होगा। अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयंमेव समाप्त माना जावेगा।
2. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ -साथ एक -एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना होगा।
3. स्वयं के व्यय से स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण -पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. यह नियुक्ति एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए होगी।
5. सेवार्ये नियमानुसार एक माह पूर्व का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी। एवं नियुक्त व्यक्ति द्वारा भी स्वेच्छ से सेवा छोड़ने के लिए तदाशय का एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का वेतन (कुल परिलब्धियां) संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।
6. नियुक्त व्यक्ति म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं म.प्र. स्वाशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्साकीय सेवा आदर्श नियम 2018 के अधीन शासित होंगे।
7. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवार्ये समाप्त की जा सकेगी।
8. नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
9. नियुक्त व्यक्ति को 50/- रुपये के स्टाम्प में उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य एवं सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी मेरी स्वयं की होगी।
10. चयनित प्रत्याशी को पुलिस वेरिफिकेशन करवा कर प्रमाण पत्र उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. उपस्थिति के समय पूर्व नियुक्ता द्वारा जारी अंतिम वेतन आचरण पत्रक एवं कार्यमुक्त आदेश प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
12. स्टाफ नर्स (नर्सिंग ऑफिसर) की इयूटी अवधि तीन पालियों में होगी। प्रथम पाली प्रातः 07:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक ,द्वितीय पाली दोपहर 01:00 बजे से 07:00 बजे तक तथा तृतीय पाली सायं 07:00 बजे से 07:00 बजे प्रातः अगले दिन तक होगी। प्रमुख पारिवारिका स्टाफ रोस्टर अनुसार जिस पाली में इयूटी लगाई जावेगी। उस पाली में इयूटी करना तथा स्टाफ नर्स के लिए लागू इयूटी नियमावली का पालन करना अनिवार्य होगा। लगाई गई इयूटी न करने की शिकायत प्राप्त होने पर म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं म.प्र. स्वाशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्साकीय सेवा आदर्श नियम 2018 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

नोट :- प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।



(डॉ. मिलिन्द शिरालकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

पृ. क्रमांक/स्था.अराज/एम.सी./2022/.....

शहडोल, दिनांक...../...../2022

प्रतिलिपि:- आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित-

1. अवर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग,भोपाल।
2. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. संचालक चिकित्सा शिक्षा भोपाल ।
4. संभागायुक्त शहडोल,संभाग शहडोल म.प्र.।
5. मुख्य कार्यपालन एवं अधिष्ठाता शा.चि.म.वि.,ग्वालियर / जबलपुर म.प्र. की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. स्थानी लेखा शा.चि.म.वि.शहडोल म.प्र.।
7. संबंधित कर्मचारी द्वारा संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता की ओर भेजकर लेख है कि कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रु. 4/- का ट्रेजरी चालान हेड - 0210-01-800 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा।

//

(डॉ. मिलिन्द शिरालकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)



कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)



क्रमांक/स्था./एम.सी./2022/.....

शहडोल, दिनांक...../...../2022

“आदेश”

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय के भोपाल के पत्र क्रमांक एफ2/57/2018/55-1 भोपाल दिनांक 30 सितम्बर 2018 में किये गये प्रावधानों के अनुसार एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में मानवीय संवेदनावश पारस्परिक सहमति से अदला-बदली के आधार पर नवीन नियुक्ति प्रदाय करने हेतु म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय सेवा आदर्श नियम 2018 के उपनियम 10 (अ) के तहत स्कूटनी समिति की अनुशांसानुसार नीचे दी गयी तालिका के कॉलम 02 में उल्लेखित कर्मचारी के एवज में कॉलम 03 में उल्लेखित अभ्यर्थी को उसके नाम के सम्मुख दर्शाये गये पदस्थापना स्थल पर वेतनमान 28700-91300 (लेवल-07) न्यूनतम वेतन 28700 पर तथा समय-समय पर शासन द्वारा देय महंगाई भत्तों के साथ निम्नलिखित शर्तों के अधीन (नर्सिंग ऑफिसर) के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।

कं.	कर्मचारी का नाम पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना	कॉलम 02 में दर्शाये कर्मचारियों के एवज में नियुक्ति किये जाने वाले अभ्यर्थी के नाम,पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना	कॉलम 03 में दर्शाये गये अभ्यर्थी की नियुक्ति उपरांत पदस्थापना	व्यनित श्रेणी
1	2	3	4	5
1	दिव्या दिनेशन (नर्सिंग ऑफिसर) बिरसा मुण्डा शा.चि.म.वि. शहडोल म.प्र.	रश्मि गुप्ता,(नर्सिंग ऑफिसर) शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय गजराजा ग्वालियर (म.प्र.)	बिरसा मुण्डा शा.चि. म.वि. शहडोल म.प्र.	अनारक्षित वर्ग
2	दीपांजली सोनी (नर्सिंग ऑफिसर) बिरसा मुण्डा शा.चि.म.वि. शहडोल म.प्र.	मंदाकिनी बैगा,(नर्सिंग ऑफिसर) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज सुपर स्पे. हॉस्पिटल जबलपुर (म.प्र.)	बिरसा मुण्डा शा.चि. म.वि. शहडोल म.प्र.	अनुसूचित जन जाति वर्ग
3	स्वाति चौधारी, (नर्सिंग ऑफिसर) बिरसा मुण्डा शा.चि.म.वि. शहडोल म.प्र.	भवानी पटेल,(नर्सिंग ऑफिसर) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज सुपर स्पे. हॉस्पिटल जबलपुर (म.प्र.)	बिरसा मुण्डा शा.चि. म.वि. शहडोल म.प्र.	अनारक्षित वर्ग
4	सुरभि साहू ,(नर्सिंग ऑफिसर) बिरसा मुण्डा शा.चि.म.वि. शहडोल म.प्र.	राधा राठौर,(नर्सिंग ऑफिसर) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज सुपर स्पे. हॉस्पिटल जबलपुर (म.प्र.)	बिरसा मुण्डा शा.चि. म.वि. शहडोल म.प्र.	अन्य पिछड़ा वर्ग

नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।

1. आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन देना (कार्यभार ग्रहण) अनिवार्य होगा। अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयंमेव समाप्त माना जावेगा।
2. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ -साथ एक -एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना होगा।
3. स्वयं के व्यय से स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण -पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. यह नियुक्ति एक वर्ष की परीक्षा अवधि के लिए होगी।
5. सेवायें नियमानुसार एक माह पूर्व का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी। एवं नियुक्त व्यक्ति द्वारा भी स्वेच्छा से सेवा छोड़ने के लिए तदाशय का एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का वेतन (कुल परिलब्धियां) संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।
6. नियुक्त व्यक्ति म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं म.प्र. स्वाशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्साकीय सेवा आदर्श नियम 2018 के अधीन शासित होंगे।
7. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
8. नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
9. नियुक्त व्यक्ति को 50/- रुपये के स्टाम्प में उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य एवं सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी मेरी स्वयं की होगी।
10. चयनित प्रत्याशी को पुलिस वेरिफिकेशन करवा कर प्रमाण पत्र उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. उपस्थिति के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा जारी अंतिम वेतन आचरण पत्रक एवं कार्यमुक्त आदेश प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
12. स्टाफ नर्स (नर्सिंग ऑफिसर) की ड्यूटी अवधि तीन पालियों में होगी। प्रथम पाली प्रातः 07:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक ,द्वितीय पाली दोपहर 01:00 बजे से 07:00 बजे तक तथा तृतीय पाली सायं 07:00 बजे से 07:00 बजे प्रातः अगले दिन तक होगी। प्रमुख पारिचारिका स्टाफ रोस्टर अनुसार जिस पाली में ड्यूटी लगाई जावेगी। उस पाली में ड्यूटी करना तथा स्टाफ नर्स के लिए लागू ड्यूटी नियमावली का पालन करना अनिवार्य होगा। लगाई गई ड्यूटी न करने की शिकायत प्राप्त होने पर म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं म.प्र. स्वाशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्साकीय सेवा आदर्श नियम 2018 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

नोट :- प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

//
(डॉ. मिलिन्द शिरालकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

पृ. क्रमांक/स्था.अराज/एम.सी./2022/080-887

शहडोल, दिनांक.05.05.2022

प्रतिलिपि:- आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित-

1. अवर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग,भोपाल।
2. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. संचालक चिकित्सा शिक्षा भोपाल ।
4. संभागायुक्त शहडोल,संभाग शहडोल म.प्र.।
5. मुख्य कार्यपालन एवं अधिष्ठाता शा.चि.म.वि.,ग्वालियर / जबलपुर म.प्र. की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. स्थानी लेखा शा.चि.म.वि.शहडोल म.प्र.।
7. संबंधित कर्मचारी द्वारा संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता की ओर भेजकर लेख है कि कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रु. 4/- का ट्रेजरी चालान हेड - 0210-01-800 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा।

WCell

(डॉ. मिलिन्द शिरालकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)